प्रेषक,

नवेंद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 08 जून, 2015

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखीमपुर के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-934ए/2015-112ए/2014, दिनॉक 11-05-2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, लखीमपुर के भवन निर्माण (सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल सहित) हेतु जिले में तहसील व परगना-सदर, ग्राम-पहाड़ापुर में 0.328 हेक्टेयर नि:शुल्क आवंटित/कब्जा प्राप्त भूमि पर अनावासीय भवन निर्माण के लिये गठित कर उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन के अनुसार वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वित्त व्यय समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3064/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 10-10-2013 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 358.81 लाख (जो लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2013 की कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर आधारित है) के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनॉक 26-08-2014 में निहित निर्देशों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग की दिनॉक 01-08-2014 से लागू कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित एवं अनुमोदित प्रारम्भिक आगणन की धनराशि रू0 429.51 लाख (रू0 चार करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमा तक प्रथम किस्त के रूप में रू0 204.17 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि योजना की अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण पूर्ण कराया जाये। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराये जाने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है, तो उसे निर्माण एजेंसी अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। भवन निर्माण की वास्तविक आगणन प्राप्त होने पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के अनुमोदनोपरान्त द्वितीय किस्त निर्गत करते समय प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

2- द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपभोग तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

4- उक्त निर्माण कार्य तब तक न प्रारम्भ किया जाए, जब तक इस हेतु शासनादेश संख्या-303/दस-06/89/2004, दिनॉक 02-03-2006 के प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक (तकनीकी) स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। भवन का निर्माण कार्य समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए तथा इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत की जा रही इस धनराशि के मासिक व्यय का विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रति माह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 दिए गए निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिए गए अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- भवन में विकलांगजन की सुविधा हेतु बैरियर फ्री आवागमन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जायेगी। विशेष रूप से भवन में प्रवेश आदि हेतु रैम्प व रेलिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

7- उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2015/1063(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), लखीमपुर ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in